भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1122

10.02.2025 को उत्तर के लिए

वन्यजीव संरक्षण विधि का प्रवर्तन

1122. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संकटग्रस्त प्रजातियों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए आईयूसीएन रेड डेटा बुक में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम अनसूची के अनुपालन में कमी को देखते हुए वर्तमान वन्यजीव संरक्षण विधि को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वन्यजीव संबंधी अपराधों का पता लगाने और अभियोग चलाने के लिए कस्टम पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षक जैसे विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों के बीच प्रशिक्षण और समन्वय में सुधार के लिए कोई उपाय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में 2022 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान आदि जैसे वैज्ञानिक संस्थानों से प्राप्त इनपुट के आधार पर अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों को युक्तिसंगत बनाना भी शामिल है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38वाई के अनुसार वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) का गठन किया है। डब्ल्यूसीसीबी को अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने तथा वन्यजीव अपराधों की वैज्ञानिक और पेशेवर जांच के लिए क्षमता निर्माण करने का दायित्व सौंपा गया है।

डब्ल्यूसीसीबी नियमित रूप से वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीवों के अवैध व्यापार से निपटने में शामिल विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के साथ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम और बैठकें आयोजित करता है।

******